भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5261
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एमएसपी में वृद्धि

5261. श्री अजय भट्टः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में गेहूं, दलहन और तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि का फसल-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गेहूं, दलहन और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए क्या मानदंड/फार्मूला अपनाया गया है और इस पर किसानों/किसान संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की अनुशंसाओं के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। इन 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें शामिल हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड और कपास; और 6 रबी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर (दाल), रेपसीड और सरसों, कुसुम तथा दो वाणिज्यिक फसलें, जैसे जूट और कोपरा।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी, उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों की मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, साथ ही भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करता है।

उत्पादन लागत के अंतर्गत, सीएसीपी सभी लागतों को व्यापक रूप से शामिल करता है, जिनमें सभी भुगतान की गई लागतें शामिल हैं, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद जैसी सामग्री के उपयोग पर होने वाले खर्च, सिंचाई शुल्क, औजारों और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि, विविध खर्च और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य।

सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2018-19 में पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में एमएसपी को उत्पादन लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी को भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मार्जिन के साथ निर्धारित किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 अधिदेशित फसलों के एमएसपी में वृद्धि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

अधिक एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के आंकड़ों से स्पष्ट है। वर्ष 2004-2014 और 2014-2026 (फरवरी 2026 तक) के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

2004-2014		2014-2026 (फरवरी 2026 तक)	
कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	कुल खरीद (एलएमटी में)	कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)
6,987	7.41	12,292	26.32

अनुबंध

दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 5261 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(विपणन सीजन के अनुसार) (₹/क्विंटल)

क्र.सं.	वस्तुएँ	केएमएस 2023-24	केएमएस 2024-25	केएमएस 2025-26
	ख़रीफ़ फसलें			
1.	धान (सामान्य)	2183	2300	2369
	धान ग्रेड)'ए')	2203	2320	2389
2.	ज्वार)हाइब्रिड(	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदांडी)	3225	3421	3749
3.	बाजरा	2500	2625	2775
4.	रागी	3846	4290	4886
5.	मक्का	2090	2225	2400
6.	अरहर	7000	7550	8000
7.	मूंग	8558	8682	8768
8.	उड़द	6950	7400	7800
9.	कपास (मीडियम स्टेपल(	6620	7121	7710
	कपास (लांग स्टेपल(	7020	7521	8110
10.	मूंगफली	6377	6783	7263
11.	सूरजमुखी के बीज	6760	7280	7721
12.	सोयाबीन पीला	4600	4892	5328
13.	तिल	8635	9267	9846
14.	राम तिल	7734	8717	9537
	रबी फसलें	**आरएमएस 2024-25**	**आरएमएस 2025-26**	**आरएमएस 2026-27**
15	गेहूं	2275	2425	2585
16	ज्वार	1850	1980	2150
17	चना	5440	5650	5875
18	मसूर	6425	6700	7000
19	रेपसीड और सरसों	5650	5950	6200
20	कुसुम	5800	5940	6540
	वाणिज्यिक फसलें	**2024-25**	**2025-26**	2026-27
21	जूट	5335	5650	5925
		2024	**2025**	**2026**
22	कोपरा)मिलिंग(	11160	11582	12027
	कोपरा)बॉल(	12000	12100	12500

नोट: केएमएस: खरीफ विपणन सीजन, आरएमएस: रबी विपणन सीजन
